



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
भारत सरकार  
नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट  
**2015-16**



हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यीकरण और अनुरक्षण) नीति - 2015  
पर राष्ट्रीय समेलन एवं नीति की उद्घोषणा  
द्वारा

श्री नितिन गडकरी

(मंत्री सहकार परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

National Conference and Launch of  
GREEN HIGHWAYS (PLANTATION, TRANSPLANTATION, BEAUTIFICATION & MAINTENANCE) POLICY - 2015

by  
Shri Nitin Gadkari

(Minister of Road Transport, Highways & Shipping)

29<sup>th</sup> September 2015, The Ashok, New Delhi

29 सितम्बर 2015, होटल अशोक, नई दिल्ली



हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यीकरण और अनुरक्षण) नीति 2015  
पर राष्ट्रीय समेलन एवं नीति की उद्घोषणा

# वार्षिक रिपोर्ट

## 2015-16



भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
नई दिल्ली



रास्ता दीजिए  
Give Way

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



नीति • २०१८

मंत्रालय  
गणराज्य और अनुरक्षण) नीति • २०१८  
सड़क परिवहन, सौन्दर्यकरण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यकरण, उद्घोषणा  
हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सम्मेलन एं जीति की उद्घोषणा  
पर राष्ट्रीय सम्मेलन एं जीति की उद्घोषणा  
पर राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा  
हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यकरण और अनुरक्षण) नीति • २०१८

श्री नितिन गडकरी  
परिवहन, राजमार्ग एं जीति परिवहन)

(पर्मी सहकरण, परिवहन, राजमार्ग एं जीति परिवहन)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS  
National Conference and Launch of  
NATIONAL CONFERENCE, BEAUTIFICATION & MAINTENANCE) POLI



हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यकरण और अनुरक्षण) नीति 2015 पर राष्ट्रीय समेलन  
एं जीति की उद्घोषणा



## विषय—सूची

| क्रम संख्या     | अध्याय  | पृष्ठ |
|-----------------|---|-------|
| I               | परिचय   | 7     |
| II              | वर्ष एक नजर में   | 9     |
| III             | सङ्क विकास  | 19    |
| IV              | सङ्क परिवहन और सङ्क सुरक्षा   | 35    |
| V               | पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास  | 45    |
| VI              | अनुसंधान और विकास   | 49    |
| VII             | राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल)  | 53    |
| VIII            | प्रशासन और वित  | 61    |
| IX              | राजभाषा नीति का कार्यान्वयन   | 73    |
| X               | निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन  | 75    |
| XI              | परिवहन अनुसंधान   | 77    |
| XII             | अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग   | 81    |
| <b>परिशिष्ट</b> |   |       |
| परिशिष्ट –1     | सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आबंटित विषय   | 85    |
| परिशिष्ट –2     | सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना   | 87    |
| परिशिष्ट –3     | देश में राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची  | 88    |
| परिशिष्ट – 4    | वर्ष 2015–16 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण हेतु आवंटन   | 92    |
| परिशिष्ट –5     | केंद्रीय सङ्क निधि के अंतर्गत आवंटन और निधियों जारी करना  | 94    |
| परिशिष्ट – 6    | अतिपरिमापित और अतिभारित कार्गो के लिए राज्यवार अनुमतियों  | 95    |
| परिशिष्ट – 7    | वित्तीय प्रगति 2015–16, (एनएचआईडीसीएल)  | 96    |
| परिशिष्ट –8     | अनु. जाति/अनु. जनजाति कर्मचारियों सहित सरकारी कर्मचारियों की संख्या (तकनीकी और गैर-तकनीकी)                      | 97    |
| परिशिष्ट –9     | राष्ट्रीय परमिट शुल्क के राज्यवार संवितरण का विवरण  | 98    |
| परिशिष्ट –10    | मुख्य शीर्षवार व्यय   | 99    |
| परिशिष्ट –11    | राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय लेन-देन के अनुरूप निधियों के स्रोत | 101   |
| परिशिष्ट –12    | पिछले तीन वर्षों के लिए राजस्व प्राप्तियों का शीर्षवार ब्यौरा   | 102   |
| परिशिष्ट –13    | लेखों के मुख्य बिंदु  | 103   |
| परिशिष्ट –14    | अशक्त व्यक्तियों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों की स्थिति                                     | 104   |

यह यिन्ह दर्शाता है कि यहां सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक क्षेत्र के कुछ भागों को यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप यिन्ह किया जाता है। यह प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश या यातायात निषेध क्षेत्र हो सकता है। इसलिए, चालक को इसका पालन करना चाहिए और अपना मार्ग परिवर्तित कर लेना चाहिए।

This sign notifies that entry is prohibited for all vehicles. Certain pockets of an area or road are demarcated as 'no entry' areas for traffic. This could be entry to a restricted area or no-traffic zone. So the driver should obey it and divert his route.

2m


चौड़ाई सीमा  
Width Limit

| क्रम संख्या  | परिशिष्ट   | पृष्ठ |
|--------------|--|-------|
| परिशिष्ट -15 | भारत में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या : 2003 से 2013                     | 105   |
| परिशिष्ट -16 | सड़क दुर्घटनाओं में घायल और मारे गये व्यक्तियों की संख्या : 2003 से 2014 | 106   |
| परिशिष्ट -17 | श्रेणीवार सड़क नेटवर्क : 1951 से 2013                                    | 107   |



## हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्यीकरण और अनुरक्षण) नीति 2015 पर राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित प्रतिभागी

यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।



राष्ट्रीय राजमार्ग का अपृत्यम दृश्य


यह चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़-माफ़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है।

This sign signifies that there should be no movement of traffic in the designated area either from outside or within. This is used to decongest the area. It is also used at pedestrian areas.



ट्रकों का आगा भरा है  
Truck Prohibited

समूक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



लाइसेंस राजमार्ग का अपृथिम दूरी

जैसा कि यिन्ह से रूपट है, निर्दिष्ट होत्र में ट्रक या भारी मोटर वाहनों (एचएमवी) का प्रवेश वर्जित है। ये वे संकरे रास्ते या भीड़-भाड़ वाले होते हो सकते हैं, जहां भारी मोटर वाहनों के प्रवेश से यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा पहुंच सकती है।



## अध्याय—I

### प्रस्तावना

- 1.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का वर्ष 2009 में गठन पूर्ववर्ती नौवेहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजित करके किया गया था।
- 1.2 देश के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन एक जटिल अवसंरचना है। यह विकास की गति, संरचना और पद्धति को प्रभावित करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के प्रशासन, सड़क परिवहन, पर्यावरण संबंधी मामलों, ऑटोमोटिव मानकों, राष्ट्रीय राजमार्गों इत्यादि के प्रयोग हेतु प्रयोक्ता फीस दर निर्धारित करने आदि के अलावा पड़ोसी देशों के साथ बाह्य यातायात के आवागमन की व्यवस्था करने का कार्य करता है।
- 1.3 यातायात (यात्री और कारगो) को समालने के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता औद्योगिक विकास की वृद्धिशील अपेक्षाओं की गति के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता है। भारत का सड़क नेटवर्क 52.32 लाख कि.मी. है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस मार्ग, राज्यीय राजमार्ग, प्रमुख ज़िला सड़कें, अन्य ज़िला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल हैं जिनकी लंबाई निम्नवत है :

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| राष्ट्रीय राजमार्ग / एक्सप्रेस मार्ग | 1,00,475 कि.मी.  |
| राज्यीय राजमार्ग                     | 1,48,256 कि.मी.  |
| अन्य सड़कें                          | 49,83,579 कि.मी. |

- 1.4 ऐतिहासिक तौर पर, परिवहन क्षेत्र में निवेश सरकार द्वारा ही किया जाता रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

### कार्य

- 1.5 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आवंटित विषयों को परिशिष्ट—1 में सूचीबद्ध किया गया है।

### संगठन

- 1.6 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना परिशिष्ट—2 में दी गई है।

### 1.7 सम्बद्ध कार्यालय

#### 1.7.1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 1988 नामक एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया था। यह इसको सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन तथा उनसे जुड़े अथवा उनके प्रांसगिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यह प्राधिकरण फरवरी, 1995 से प्रचालन में है।

यह चिन्ह दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ-ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

This sign indicates that the road has been prohibited for plying of Bullock & Hand Carts. These slow moving carts many a times hinder the smooth flow of traffic.



लंबाई सीमा  
Length Limit



### 1.7.2 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आई.ए.एच.ई.)

भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आई.ए.एच.ई.) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पंजीकृत संस्था है। यह केंद्र और राज्य सरकारों का एक सहयोगी निकाय है जिसका वर्ष 1983 में गठन देश में राजमार्ग अभियंताओं के प्रवेश स्तर एवं सेवाकाल के दौरान प्रशिक्षण की दीर्घकाल से अनुमति की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी।

### 1.7.3 राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लि. (एनएचआईडीसीएल)

मंत्रिमंडल ने 13.03.2014 को हुई अपनी बैठक में पड़ोसी देशों के साथ सतत आधार पर शैक्षीय सड़क सम्पर्क संवर्धित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले पड़ोसी देशों के समीपस्थ देश के भागों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/उन्न्यन/चौड़ीकरण का कार्य विशिष्ट रूप से किए जाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक नवीन कारपोरेट संस्था को स्थापित करने तथा उसे प्रचालनात्मक बनाने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया।



सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र गोङ या घुमावदार गोङ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित दंग से मुँह नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.



## अध्याय-II

वर्ष 2015–16 एक नजर में

## (क) सड़क विकास

## सड़क नेटवर्क

2.1 सड़क क्षेत्र: 31 दिसम्बर, 2015 तक विभिन्न कार्यक्रमों की स्थिति निम्नानुसार है :

| वरण   | कुल लम्बाई कि.मी. में                      | 31.12.2015 तक पूर्ण की गई लम्बाई कि.मी. में | 1.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान पूर्ण की गई लम्बाई |
|---|--|---|---|
| एनएचडीपी-I<br>जीक्यू ईल्डल्यू-एनएस कोरिडोर पत्तन संपर्क और अन्य             | 7,522                                      | 7521  | 1   |
| एनएचडीपी-II<br>उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम कोरिडोर व अन्य को 4/6 लेन का बनाना | 6,647                                      | 5903  | 48  |
| एनएचडीपी-III<br>उन्नयन, 4/6 लेनिंग बनाना                                    | 12,109                                     | 6734  | 252   |
| एनएचडीपी-IV<br>पेल्ड शोल्डर सहित 2 लेनिंग बनाना                             | 20,000                                     | 1825  | 709   |
| एनएचडीपी-V<br>जीक्यू और उच्च सघनता कोरिडोर को 6 लेनिंग बनाना                | 6,500                                      | 2319  | 223   |
| एनएचडीपी-VI<br>एक्सप्रेसवे  | 1000                                       | -   | -   |
| एनएचडीपी-VII<br>रिंग रोड, बाईपास और पलाईओवर एवं अन्य अवसंरचनाएं             | रिंग रोड/बाईपास पलाईओवर इत्यादि 700 कि.मी. | 22  | -   |
| एसएआरडीपी-एनई   | 6190                                       | 1829  | 82  |
| एलडब्ल्यूई  | 5422                                       | 3904  | 334   |
| एनएचआईआईपी  | 1120                                       | 239.16                                      | 157   |

**गैर-एनएचडीपी:** मौजूदा वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक इस योजना के अंतर्गत 120 कि.मी. लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक मौजूदा भुगतानों के अनुसार 615 कि.मी. सड़क सुदृढीकरण और 518 कि.मी. सड़क का इम्प्रूविंग राईड क्वालिटी प्रोग्राम (आईआरक्यूपी) के अंतर्गत निर्माण किया गया है।

आम तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं।

This sign is usually installed before a bridge. It indicates the load that a bridge can bear. The limit of this sign is 4 tonnes which indicates that only vehicles with axle load of 4 tonnes or less can pass over the bridge.



हाथ टेलों का आवा मन्द है  
Hand Cart Prohibited

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



### 2.1.1 सड़क रक्कंध द्वारा की गई मुख्य पहलें:

मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित मुख्य पहले की गई हैं:-

1. क्षेत्रीय कार्यालयों में ई—सुगतान पद्धति का कार्यान्वयन अथवा आनलाइन प्रत्यक्ष सुगतान प्रक्रिया ।
2. खुदरा आउटलेटों के लिए अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किए जाने के लिए आनलाइन आवदेन सुविधा और ओएफसी केबल आदि के लिए अनुमति जारी करना ।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का वेब आधारित अनुबोधन ।
4. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर डस्टावार किये हैं जिसमें उनक अड्चनों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो जीएडी प्रक्रिया के अनुमोदन और निर्माण के दौरान आड़ आती थीं । समझौता ज्ञापन आरओबी के जीएडी अनुमोदन को सुगम बनाएगा और इससे आरओबी के निष्पादन के दौरान निर्णय लेने में भी सहायता मिलेगी ।
5. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने समयबद्ध रीति से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी स्तरों के क्रॉसिंग्स को आरओबी / आरयूबी द्वारा हटाने का निर्णय लिया है ।
6. मंत्रालय ने एचटी—३ श्रेणी तक के हाइड्रॉलिक ट्रेलरों की आवाजाही के लिए अनुमति देने हेतु एक वेब पोर्टल विकसित किया है और ६ जनवरी, २०१५ को इसका शुभारम्भ किया गया है । इस वेब पोर्टल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाइड्रॉलिक ट्रेलरों की आवाजाही के लिए सही समय पर अनुमति प्राप्त करने में सुगमता होगी । इससे भारी उपकरणों की सूचारु और समय पर आवाजाही में आसानी होगी जिससे राष्ट्र का आर्थिक विकास होगा ।
7. राज्यवार प्राधिकारी असियताओं की नियुक्ति की गई है जो मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित सिविल कार्यों का ईपीसी दस्तावेजों के अनुसार पर्यवेक्षण करेंगे ।
8. मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के लिए इन्वेंटराइजेशन और कंडीशन सर्वे पूरा करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया में है । यह परामर्शदाता आईआरसी:एसपी:३५ के अनुसार आवधिक रूप से कंडीशन सर्वे करेंगे । इन परामर्शदाता द्वारा संग्रहीत डेटा को आईएएचई, नोएडा द्वारा स्थापित किये जा रहे पुल प्रबंधन केंद्र द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा जो मंत्रालय को भावी योजना और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध निधियों में से पुल परिस्थितियों की प्राथमिकता के संबंध में सुझाव देगा ।

### आईएएचई



यह छिन्ह दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर हाथ ठेले चलाने पर रोक है क्योंकि ये यातायात के रोज प्रवाह में बाधक बनते हैं ।

This sign indicates that the Hand Cart is prohibited on the demarcated road as it would hinder the flow of fast moving traffic.



साइकिल-सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर, जहां तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल घलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए, साइकिल-सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जहां यह चिन्ह लगा हो।

In order to ensure the safety of cyclists certain roads which are meant for fast moving vehicles are prohibited for cyclists. So the cyclists should not use the roads where this sign has been installed.



2.2 चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2015 तक 1231 इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 68 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

#### 2.4 पथकर प्रभाग द्वारा की गई प्रमुख पहलें:

2.4.1 राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुचारू आवागमन के लिए माननीय सांसदों को तीन "फास्टैग" दिये जाएंगे ।

2.4.2 शुल्क योग्य लम्बाई और संग्रहीत शुल्क के बौरे इस प्रकार हैं:



#### 2.4.3 आटोमेटिक ट्रैफिक काउंटर और क्लासीफायर (एटीसीसी) का इस्तेमाल किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात सर्वेक्षण

यातायात के आंकड़े राजमार्ग विकास और योजना के लिए अनिवार्य घटकों में से एक होते हैं । यातायात की मात्रा राजमार्ग के किसी खंड में लेनों की संख्या, बीओटी (पथकर) और बीओटी (वार्षिकी) परियोजनाओं के लिए रियायत अवधि, राजमार्गों के किनारे सुविधाओं और वर्तमान एवं भावी विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का निर्णय करती है । क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों अथवा स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से हाथ से किए गए यातायात सर्वेक्षणों द्वारा यातायात आंकड़ों के संग्रहण का परम्परागत तरीका वैज्ञानिक नहीं है और इसका मानकीकरण किए जाने की आवश्यकता है । राजमार्ग परियोजनाओं के लिए विशुद्ध यातायात सर्वेक्षण और अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की सम्पूर्ण लम्बाई पर एटीसीसी का इस्तेमाल करके योजना और व्यवहार्यता अध्ययन, यातायात सर्वेक्षण किया जाएगा ।

सभी पथकर प्लाज़ाओं पर एक ऐसी पद्धति होनी चाहिए जो सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सम्पूर्ण लम्बाई पर यातायात का सम्पूर्ण यातायात सर्वेक्षण करने के लिए वाहन की श्रेणी और उसके आकार

यह चिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है, जो सड़क पर लगे यातायात चिन्ह में दर्शायी जाती है । दंडात्मक कार्यवाही और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए ।

This sign designates the speed of traffic on road. The limit specified must be invariably followed to avoid penal action and crashes on the road.



की पहचान कर सके। एटीसीसी लगाने के लिए सम्पूर्ण भारत में 1610 स्थान अभिज्ञात किए गए हैं। यातायात सर्वेक्षण करने के लिए देश को 7 जोनों में विभाजित किया गया है। यातायात सर्वेक्षण छमाही आधार पर किया जाएगा। यातायात सर्वेक्षण का अनुवीक्षण करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष होगा। यह राजमार्ग परियोजनाओं, योजना और व्यवहार्यता अध्ययन के लिए वास्तविक अनुमान लगाने में सहायता करेगा। केंद्रीय नियंत्रण कक्ष रखापित किया गया है और यातायात सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है। पहले चरण में दिसम्बर, 2015 तक 1524 सर्वेक्षण पूरे किये गये हैं। दूसरे चरण में जनवरी, 2016 तक 223 सर्वेक्षण पूरे किये गये हैं।

#### 2.4.4 इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली

बाधाओं को दूर करने और यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने तथा विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार टोल संग्रहण करने के लिए पेसिव रेडियो प्रीकरेशी आइडेंटीफिकेशन टैन्कोलॉजी (आरएफआईडी) का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

इंडियन हाइवे इंजीनियरिंग एंड ट्रैफिक सेवा (ईटीसी) के लिए सेंट्रल कॉम्प्यूटर इंटरफ़ेस (सीसीएच) हेतु सेवा प्रदाता समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

मार्च, 2016 तक अखिल भारतीय स्तर पर ईटीस प्रणाली क्रियान्वित की जाएगी।

#### 2.4.4 आटोमेटिक क्लीकल कार्डेंटर एंड क्लासीफायर (एवीसीसी) प्रणाली

एवीसीसी प्रणाली लेनों से गुजरने वाले वाहनों का वर्गीकरण और उनकी गिनती करती है। इसका इस्तेमाल पथकर संग्रहण के लिए संपरीक्षा के रूप में भी किया जाता है। पथकर प्रबंधन प्रणाली पथकर संग्रहणकर्ता द्वारा प्रविष्ट की गई एवीसीसी की श्रेणी और वर्गीकरण की जांच करती है। यदि उनमें कोई मिलान न हो तब लेन कैमरा श्रेणी विषमता संदेश, तारीख और समय सहित प्रविष्टी संख्या, लेन संख्या और पथकर संग्रहणकर्ता के ब्लॉक के साथ वाहन की डिजिटल छवि ले लेता है। छवि और विषमता संबंधी सूचना पथकर पर्यवेक्षण स्टाफ द्वारा आगे संसाधित किए जाने के लिए पर्यवेक्षण दल को संसूचित की जाएगी। गिनती और वर्गीकरण संबंधी आंकड़ों को दूर से ही सीधे दर्ज किया जा सकता है।

इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी है ताकि सभी पथकर प्लाजाओं पर इस प्रणाली को कार्यान्वित किया जा सके।

#### वे-इन मोशन ब्रिज (डब्ल्यूआईएम) प्रणाली

वाहनों में अतिभार लदान न केवल राजमार्गों के आर्थिक जीवन और उन सड़कों के लिए क्षतिकारक है जिन पर यात्रिक वाहन चलते हैं बल्कि उनसे सुख्खा संबंधी मुद्दे भी बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं।

मोटरसायान अधिनियम, 1988 और राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस) नियमावली, 2008 के प्रावधानों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर वे-इन मोशन ब्रिज रखापित किए जाने हैं।

यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़ें।

This sign directs driver not to turn towards right side in any circumstance.



बाएं मुड़ना मता है  
Left Turn Prohibited



#### 2.4.6 सीसीटीवी निगरानी प्रणाली

सभी टोल प्लाजाओं पर आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। सीसीटीवी प्रणाली का प्रयोग लेने एरिया और प्लाजा ब्लिंडिंग क्षेत्रों की निगरानी के लिए किया जाएगा। सभी टोल प्लाजाओं से प्राप्त वीडियो की ऑन लाइन निगरानी के लिए नियंत्रण केंद्र पर वीडियो मोनिटर/वीडियो वॉल लगाये जाएंगे।

आवश्यक कार्रवाई पड़ले ही आरंभ कर दी गई है ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल प्लाजाओं में यह प्रणाली उपलब्ध हो सके। इस कार्य को चार अंचलों में विभाजित किया गया है और संविदाओं पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। डब्ल्यूआईएम और सीसीटीवी निगरानी 6 अवस्थाओं पर स्थापित कर दी गई है।



#### ख सड़क परिवहन क्षेत्र

- 2.4.7 सभी राज्यों में परियहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा प्रयोग किये जाने वेत्रु व्यापक प्रवर्तन समाधान के लिए एक मोबाइल एप्प सह वेब एप्लीकेशन विकसित किया गया है। परियहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए व्यापक प्रवर्तन समाधान वेत्रु मोबाइल सह वेब एप्लीकेशन्स को विकसित किया गया है। परियहन डेटाबेस से विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रणालियों जैसे कि वेब सेवाएं, सुरक्षित लॉग-इन, पुल-एसएमएस, बल्क ट्रान्सफर के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं जैसे कि सरकारी विभागों, पुलिस, छंटनी करनी वाली एजेंसियों, बैंकों और इंश्योरेंस कम्पनियों, ट्रान्सपोर्टरों और सामान्य नागरिकों को डेटा पहुंच सुविधा प्रदान की गई है।
- 2.4.8 अब वितरित 'वाहन' और 'सारथी' वर्जनों के स्थान पर एक नई केंद्रीकृत वेब-युक्त एप्लीकेशन को विकसित किया गया है जिसमें सड़क परियहन कार्यालयों से संबंधित संचालन के सभी पहलू/व्यापार केंद्रित सेवाएं शामिल हैं। सभी आधुनिक विशेषताओं और कार्यात्मकताओं सहित 'वाहन' और 'सारथी' के इस नये वर्जन को एनआईसी क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर उपलब्ध करा दिया गया है और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाए जाने के लिए खोल दिया गया है। पहले वर्जन से नए प्लेटफॉर्म पर डेटा अंतरण का कार्य भी पूर्णतया प्रगति पर है। 5 राज्यों में 25 सड़क परियहन कार्यालयों में पहले ही नया वाहन वर्जन 4 रोलआउट

यह थिन्क चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े।

This sign indicates that left turn is prohibited.



हो चुका है। 11 राज्यों के लगभग 60 सड़क परिवहन कार्यालयों में साथी वर्जन 4 क्रियान्वित किया गया है। देश भर के सभी सड़क परिवहन कार्यालयों में इस वर्ष के अंत तक डेटा अंतरण का कार्य चलेगा।

- 2.4.9 मंत्रालय ने ई-रिक्षाओं और इसकी विनिर्दिष्टियों को केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत शामिल करने के लिए मोटर वाहन नियमावली, 1989 (केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली) में संशोधन हेतु दिनांक 08.10.2014 के सा.का.नि. 709 (अ), 08.10.2014 के का.आ. 2590 (अ) और दिनांक 13.01.2015 के सा.का.नि. 27 (अ) को अधिसूचित किया है जिसे मंत्रालय की वेबसाइट [www-morth-nic-in](http://www-morth-nic-in) पर अपलोड कर दिया गया है। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में मौजूदा ई-रिक्षाओं को नियमित करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का उल्लेख है।
- 2.4.10 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 'मोटर यान अधिनियम, 1988' के रूपान पर 'सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक—2015' एक नये अधिनियम को लाने के प्रस्ताव पर कार्य कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और राष्ट्रीय परिवहन प्राधिकरण को सुव्यवसित करने का प्रस्ताव है जिसमें सड़क सुरक्षा के लिए इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रवर्तन, मॉनिटरिंग और आपातकालीन उपचार मानकों का ध्यान रखा जाएगा। इस विधेयक में उन प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया गया है जो सड़क सुरक्षा और परिवहन प्रणाली के सक्षम प्रयोग के प्रतिकूल हैं। इसमें परिवहन क्षेत्र की दक्षता में सुधार हेतु मल्टी मॉडल समन्वयन प्राधिकार लाने का भी प्रस्ताव है।

सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2015 का अद्यतन वर्जन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनकी टिप्पणियाँ/विवार प्राप्त करने के लिए 4 जून, 2015 को भेजा गया था। अब तक लगभग 26 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी टिप्पणियाँ भेजी हैं। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी टिप्पणियाँ/सुझाव अभी प्राप्त होने हैं, उन्हें अनुस्मारक भेजा गया है। सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2015 मंत्रालय की वेबसाइट [www.morth.nic.in](http://www.morth.nic.in) पर अपलोड कर दिया गया है।

- 2.4.11 सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों के लिए निःशुल्क उपचार 'स्वर्णिम घंटे' के दौरान, त्वरित और उपयुक्त चिकित्सा परिवर्या प्रदान करके दुर्घटना पीड़ितों की जिंदगियों को बचाने और इस प्रकार सड़क दुर्घटनाओं में घातकताओं को कम करने के उद्देश्य से मंत्रालय में निम्नलिखित प्रायोगिक परियोजनाएं आखंकी हैं:-
- राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) संख्या 8 का गुडगांव—जयपुर खंड (आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा क्रियान्वित)।
  - राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) संख्या 8 का बडौदरा—मुम्बई खंड (इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि. द्वारा क्रियान्वित)।
  - राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 का रांची—चारगांव—महुलिया खंड (आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा क्रियान्वित)।

इस परियोजना में ध्यान रखा गया है कि दुर्घटना पीड़ितों को प्रथम 48 घंटे अथवा 30000/- रुपए जो भी पहले हो, के लिए दुर्घटना खल से उपचार के लिए अस्पताल ले जाने और जहां कहीं आवश्यक हो सरकारी अथवा प्राइवेट, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाया जाए ताकि दुर्घटना पीड़ितों को 'स्वर्णिम घंटे' के दौरान त्वरित और उपयुक्त चिकित्सा परिवर्या प्रदान करके उनके जीवन को बचाया जा सके।

प्रायोगिक परियोजना, समुचित अखिल भारतीय स्कीम को कार्यान्वित करने में मार्गनिर्देशन उपलब्ध कराएगी।

इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है।  
One has to turn towards left after seeing this sign. This may have been installed due to diversion.



प्रायोगिक परियोजना के परिणामों के आधार पर समूचे देश में सड़क दुर्घटना-पीड़ितों को नकदी रहित उपचार देने की स्कीम को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रायोगिक परियोजना के दौरान एकत्रित अनुभव और डेटा निम्नलिखित निष्कर्ष देंगे—

- (क) साधारण चोटों (ख) गम्भीर चोटों के ईलाज पर होने वाला सम्मानित व्यय।
- यदि दुर्घटना पीड़ित 48 घण्टों बाद भी छुट्टी दिये जाने के लिए फिट न हो तो ईलाज एवं व्यय पूर्ति से संबंधित तौर-तरीके।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली अपेक्षित निधियों की मात्रा।

**2.4.12** परिवहन क्षेत्र में मानव संसाधन के विकास के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और नगर निगमों के परिवहन/यातायात विभाग के अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रायोजित करना। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के सीआईआरटी पुणे, एआरएआई पुणे, ईएससीआई हैदराबाद, आईआरटीई फरीदाबाद, आईआईटी दिल्ली, पीसीआरए दिल्ली और आईआईपी देहरादून, नामक सात प्रमुख संस्थानों के माध्यम से राज्य परिवहन/परिवहन विभाग कार्मिकों के लिए 54 प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थीकृत किये गये हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि सहभागियों को सड़क परिवहन क्षेत्र के सभी क्षेत्रों की जानकारी दी जा सके और वे उभरती चुनौतियों का सामना कर सकें। अब तक 47 प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किये जा चुके हैं। शेष 7 कार्यक्रम इस वित्तीय वर्ष के अंत तक आयोजित किये जाएंगे।

**2.4.13** रेडियो फ्रीकर्वेंसी संकेतक की फिटमेंटरु राज्य परिवहन विभागों के अधिकारियों और प्रवर्तन प्राधिकारियों को राष्ट्रीय रजिस्टर में उपलब्ध आंकड़ों तक पहुंच प्रदान कराई गई है जिससे कि उन सभी ड्राइविंग लाइसेंसों/पंजीकरण प्रमाणपत्रों का तत्काल सत्यापन सुलभ होगा, जिनको उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर से एसएमएस भेजकर लिजिटाइज कर दिया गया है। केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के अंतर्गत 'एम' और 'एन' श्रेणी के वाहनों पर रेडियो फ्रीकर्वेंसी आइंडेटिफिकेशन लिवाइस (आएएफआईडी) टैग लगाना अधिदेशित किया गया था। इससे इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रहण (ईटीसी) को सरल और कारगर बनाना सुगम हो जाएगा और इसका उपयोग विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए भी किया जा सकता है।

**2.4.14** मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अंतर्गत खापित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् (एनआरएससी) सड़क सुरक्षा के लिए शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् (एनआरएससी) का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अंतिम बार गठन 31.08.2015 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। को-आपटिड संस्थागत/व्यक्तिगत सदस्यों की कार्य अवधि अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से दो वर्षों के लिए होती है। गजट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक कम से कम वर्ष में एक बार होनी चाहिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 22.2.2016 को आयोजित की गई है जिसमें इस विषय पर विस्तृत चर्चाएं हुईं।

**2.4.15** भौगोलिक सानिध्य के आधार पर भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कम्पनी लि. (आईएचएमसीएल) ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन हेतु देश को चार अंचलों में विभाजित किया गया है। हाल ही में चार अंचलों में कॉल सेंटर स्थापित करने हेतु अधिप्रापण किया गया है और शेष दो अंचल निविदा संबंधी समस्याएं हल करने के उपरांत कवर किये जाएंगे।

**2.4.16** देश भर में 11 से 17 जनवरी, 2016 तक 27वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस बार सड़क सुरक्षा का थीम था "सड़क सुरक्षा—अमल का समय"। सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलापों को तैयार किया गया और राज्यसंघ राज्य क्षेत्र सरकारों, एसोसिएशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट

यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है।

**This sign indicates the traffic should move in straight direction and turning to either side would lead to penal action and safety hazard.**



अंडरटैकिंग (एएसआरटीयू), सभी ऑटोमोबाइल संघों और एसोसिएशन ॲफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स आदि को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया।

## 2.4.17 हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौन्दर्योक्तरण और अनुरक्षण) नीति, 2015

यह नीति समुदाय, किसानों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र, संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और वन विभाग के सहयोग से पर्यावरण अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है ताकि सतत तरीके से आर्थिक वृद्धि और विकास सुनिश्चित किया जा सके।

इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ वृक्षारोपण के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करना वायु प्रदूषण और धूल के प्रभावों को कम करना है क्योंकि वृक्षों और झाड़ियों को वायु प्रदूषकों के लिए प्राकृतिक उन्मूलक के रूप में जाना जाता है; गर्मी के दौरान तपती गर्म सड़कों पर अति आवश्यक छाया प्रदान करना; वाहनों की संख्या में वृद्धि की वजह से हमेशा बढ़ने वाले ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करना; तटबंध ढलावों पर मिट्टी के कटाव को रोकना; आने वाले वाहनों की हेड लाइट की रोशनी को रोकना; हवा और आने वाले विकिरण के प्रभाव को कम करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सुजित करना है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित इंडियन हाइवे ज मैनेजमेंट कम्पनी लि., राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण के लिए एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए उत्तरदायी है।

सभी राजमार्ग परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत (टीपीसी) का 1% भाग पूल किया जाएगा और राजमार्ग पर वृक्षारोपण तथा रख-रखाव के लिए अलग से रखा जाएगा।

जो कोई भी वृक्षारोपण और उसके रख-रखाव में दिलचस्पी रखता हो, इसमें भाग ले सकता है। तथापि, संरक्षण ढांचा सुनिश्चित करने के लिए संगठित समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों, संस्थानों, सरकारी विभागों और वृक्षारोपण के कार्यों में अनुभव प्राप्त निजी उपकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्ष लगाने के लिए सूचीबद्ध एजेंसियों को निविदा की अनुमति होगी। निम्नलिखित प्रकार की एजेंसियों इसके लिए पात्र होंगी:-

- सरकारी अथवा निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ
- सोसाइटी, ट्रस्ट अथवा गैर लाभ-प्राप्त प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी
- महासंघ/उत्पादक संगठन
- रखयां सहायता समूह/ जल प्रयोक्ता संघ/ संयुक्त वन प्रबंधन समूह/ संयुक्त दायित्व समूह जैसी अनौपचारिक एजेंसियाँ।

2.4.18 सड़क निर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ने से मूल-भूत ढांचे में विकास के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2016 के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लगभग 9,280 कि.मी. सड़क लम्बाई (जिसमें 3,034 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं) का निर्माण किया गया है, जिसमें कुल लगभग 3.78 करोड़ श्रम-दिवस और 4.76 श्रम-दिवस प्रति कि.मी. सृजित होने की सम्भावना है। मंत्रालय का 2016–17 के दौरान 10,000 कि.मी. की सड़क परियोजनाओं के निर्माण का लक्ष्य है जिससे लगभग 4 करोड़ श्रम-दिवस रोजगार सुजित होने की सम्भावना है।

यह चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुँहने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है। This sign directs the driver to turn right only. Obeying this sign will lead to safety and hassle free drive.


2m

चौड़ाई सीमा  
Width Limit

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



WE WANT YOU SAFE



M  
India Manufacturing

## सड़क युट्टी पदयात्रा Road Safety Walk



सफुल सुरक्षा पदयात्रा

यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पांच जाने के बीच में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस बीच में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।


This sign indicates the width of the vehicle, which is allowed to enter the zone beyond it. The vehicle with width above 2 meters is restricted to enter this zone. This could be a bridge or a narrow lane.



## अध्याय—III

### सड़क विकास

3.1 इस मंत्रालय को सामान्यतः सड़क परिवहन और राजमार्गों के विकास तथा विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर राज्यों में सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राज्य सरकारों को राज्यीय सड़कों के विकास में सहायता देने के लिए केंद्र सरकार, केंद्रीय सड़क निधि, सीआरएफ और अंतर राज्यीय सम्पर्कता तथा आर्थिक महत्व (आईएससीएंडईआई) योजना से वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर सम्पर्कता सुधार कार्यक्रम (एनएचआईआईपी) की अतिरिक्त मंत्रालय एसएआरडीपी-एनई और एलडब्ल्यूई योजनाओं को भी क्रियान्वित कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यीय सड़कें शामिल हैं। मंत्रालय सड़कों और पुलों के संबंध में तकनीकी सूचना के संग्रहालय के लिए कार्य करने के अतिरिक्त देश में सड़कों और पुलों के मानकों और विनिर्देशनों के निर्धारण के लिए भी उत्तरदायी है।



\* दिसम्बर 2015 तक


यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। बाएं मुड़ना वर्जित है।

This sign directs the traffic to either move straight or take right turn. Turning towards left is prohibited.



लंबाई सीमा  
Length Limit

- 3.2 राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई 1,00475 कि.मी. है जिसके लिए भारत सरकार संवैधानिक रूप से उत्तरदायी है। राज्यवार राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची परिशिष्ट-3 में दी गई है। विगत तीन वर्षों में निर्मित किये गये राष्ट्रीय राजमार्गों का व्यौरा इस प्रकार है:-



\* दिसम्बर 2015 तक

- 3.3 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में क्षमता दबाव, अपर्याप्त पेवरमेन्ट क्रस्ट, घटिया ज्यामिती और सुरक्षा कारकों के अभाव जैसी विभिन्न कमियां हैं। उपलब्ध संसाधनों के अंदर, कार्यों को प्राथमिकताबद्ध करके विद्यमान राजमार्गों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, पुलों का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण और बाइपासों का निर्माण करके राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार किया जाता है। हालांकि, सरकार राजमार्ग क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अधिक बजटीय आवंटन प्रदान कर रही है और उच्च सघनता वाले महामार्गों के उन्नयन के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, फिर भी राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त निधियां आबंटित कर पाना संभव नहीं हो पाया है। सड़क विकास के लिए अन्य स्रोतों से निधियां जुटाने के लिए संगठित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

### राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण

- 3.4 सरकार ने एक विशाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की है, जो देश में वर्ष 2000 से शुरू की गई विशालतम राजमार्ग परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

सड़क पर लगा यह चिन्ह दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

This sign on road indicates that length of the vehicle, which can be manoeuvred through that passage. It could be a sharp turn, a hairpin bend etc. This is meant for long and oversized vehicles which cannot negotiate a safe turn.



## राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना

- 3.5 भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 6,00,000 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय वाली सात चरणों में फैली एक विशाल अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी है।

### राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का वित्त-पोषण

- 3.6 वर्ष 2015–16 के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 89,301 करोड़ रुपए (सं.अ. 76,496 करोड़ रुपए) के व्यय का अनुमान लगाया है जिसमें से 73,032 करोड़ रुपए (सं.अ. 52,003 करोड़ रुपए) { ( वार्षिकी भुगतान, बाजार/भारत सरकार/एडीबी (प्रत्यक्ष) उधार और ब्याज राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए 12,271 करोड़ रुपए (सं.अ. 9157 करोड़ रुपए) ) सहित } भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बोर्ड से व्यय किये जाएंगे और 16,268 करोड़ रुपए (सं.अ. 24493 करोड़ रुपए) निजी क्षेत्र द्वारा व्यय किये जाने की संभावना है। दिसम्बर, 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और निजी क्षेत्र दोनों ने संयुक्त रूप से 47,084.87 करोड़ रुपए व्यय किये। (व.अ. 2015–16 का 52.73 प्रतिशत, जिसमें 3,766 करोड़ रुपए वार्षिकी भुगतान, बाजार/भारत सरकार/एडीबी (प्रत्यक्ष) उधार और ब्याज राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए शामिल हैं) जिसमें से 23,324 करोड़ रुपए सरकारी निधि से व्यय किये गये हैं और 17,542 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र द्वारा व्यय किये गये हैं।
- 3.7 वित्त वर्ष 2015–16 के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उपकर के लिए 14,794 करोड़ रुपए (सं.अ. 18,420 करोड़ रुपए) और 11,535 करोड़ रुपए (बकाया 3,321 करोड़ रुपए सहित) (सं.अ. 6,500 करोड़ रुपए) पथकर संग्रहण, राजस्व भाग, ऋणात्मक अनुदान और प्रीमियम के एवज में भारत की समेकित निधि में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्लॉ बैंक निधि के रूप में जमा कराए गए हैं। इसाएआरडीपी—एनई और जम्मू और कश्मीर परियोजनाओं के लिए 2,853 करोड़ रुपए (सं.अ. 2,706 करोड़ रुपए) पूर्वी परिधिय एक्सप्रेसवे के लिए 200 करोड़ रुपए (सं.अ. 337 करोड़ रुपए) और राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 1327.26 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान 1158.05 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त बजटीय सहायता दी गई है।
- 3.8 बजट प्राक्कलन 2015–16 के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 54ईसी बांड और कर मुक्त बांड के माध्यम से 42,694.50 करोड़ रुपए (सं.अ. 23,000 करोड़ रुपए) जुटाने थे। दिसम्बर, 2015 तक 54ईसी बांड के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 6516.41 करोड़ रुपए जुटाये गये हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कर मुक्त बॉल आवेदनों से 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त किये हैं, जिनका आवंटन अभी किया जाना है।

### राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) चरण—I और II:

3. 9 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण—I और चरण—II में निम्नलिखित मार्गों का 4 / 6 लेन के मानकों के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में विकास करना शामिल है:—
- (क) स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू) जो चार महानगरों अर्थात् दिल्ली – मुम्बई – चेन्नै – कोलकाता को आपस में जोड़ता है।
  - (ख) उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम महामार्ग (एनएसईडब्ल्यू) जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से और सलेम से कोयीन से निकलते हुए सिलचर को पोरबन्दर से जोड़ते हैं।

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है। दाएं मुड़ना वर्जित है। इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

This sign directs the traffic to either move straight or take left turn. Turning towards right is prohibited. Violation of these sign may jeopardize your safety and may also lead to penal action.



- (ग) देश के महापत्तनों को राष्ट्रीय राजमार्गों तक सड़क संपर्क प्रदान करना ।
  - (घ) अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ।
- 3.10 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण—। को, 30,300 करोड़ रुपए (1999 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर दिसंबर 2000 में मन्त्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज के 5,846 कि.मी., उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम महामार्गों के 981 कि.मी., पत्तन संपर्क के 356 कि.मी. और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 315 कि.मी. को मिलाकर कुल 7,522 कि.मी. शामिल हैं । वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2015 तक 2 कि.मी. में कार्य पूरा किया गया ।
- 3.11 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण—॥ को 34,339 करोड़ रुपए (2002 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर दिसंबर 2003 में अनुमोदित किया गया था । इसमें मुख्यतः उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम महामार्ग (6,161 कि.मी.) और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के 486 कि.मी. को मिलाकर कुल 6,647 कि.मी. लंबाई शामिल है । वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2015 तक 48 कि.मी. में कार्य पूरा किया गया ।


### राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण—III:

- 3.12 सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण—III के अंतर्गत 22,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मार्च, 2005 में निर्माण, प्रचालन और डस्टांतरण (बीओटी) आधार पर 4,000 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाने के लिए अनुमोदित किया है । बाद में, सरकार ने उन्नयन के लिए कार्यान्वयन हेतु 17.10.2006 और 12.04.2007 को 12,109 कि.मी. की कुल लंबाई के अतिरिक्त खंडों को अनुमोदित किया जिसके लिए 12,230 कि.मी. की लंबाई अभिनिर्धारित की गई है । राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण—III के अंतर्गत 80,626 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर निर्माण, प्रचालन और डस्टांतरण (बीओटी) आधार पर 12,109 कि.मी. लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाने के लिए अनुमोदित किया जाना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत खंडों का अभिनिर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया गया है—
- i) चरण I और II में शामिल न किए गए उच्च घनत्व वाले यातायात कॉरीडोर ।
  - ii) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (चरण—I और II) के साथ राज्य राजधानियों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना ।
  - iii) पर्यटन केन्द्रों और आर्थिक महत्व के स्थानों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराना ।
- दिसम्बर, 2015 तक 12,109 कि.मी. के लक्ष्य के मुकाबले में 6734 कि.मी. लंबाई में 2/4 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा लिया गया है और 3313 कि.मी. लंबाई में कार्य चल रहा है । वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2015 तक 252 कि.मी. में कार्य पूरा कर लिया गया है ।



आप तौर पर किसी पुल से पहले यह चिन्ह लगाया जाता है । यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है । इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है । यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन वा उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं ।

*This sign is usually installed before a bridge. It indicates the load that a bridge can bear. The limit of this sign is 4 tonnes which indicates that only vehicles with axle load of 4 tonnes or less can pass over the bridge.*



### राष्ट्रीय राजमार्ग का अपूरित दृश्य

#### राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण—IV

3.13 इस चरण में, सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर 78,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लगभग 20,000 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का पेढ़ शोल्डर सँडित 2 लेन में उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है। यह चरण जुलाई, 2008 माह में अनुमोदित किया गया था। इसमें से लगभग 13,203 कि.मी. की लंबाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। 31 दिसम्बर, 2015 तक 1825 कि.मी. लंबाई को पहले ही 2/4 लेन का बनाया जा चुका है और रोष 4704 कि.मी. लंबाई का कार्य कार्यान्वयनाधीन है। वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2015 तक 709 कि.मी. का कार्य पूरा कर लिया गया है।

#### राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण—V

3.14 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V के अंतर्गत (डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन आधार पर) मौजूदा 4 लेन वाले 6,500 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को 41,210 करोड़ रुपए (2006 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से 6 लेन बनाए जाने के कार्य को अक्टूबर, 2006 में अनुमोदित किया गया था। 6 लेन बनाए जाने वाले 6,500 कि.मी. में स्थर्णिम चतुर्सुंज के 5,700 कि.मी. और अन्य खंडों के 800 कि.मी. शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की 6,500 कि.मी. लंबाई में से 31 मार्च, 2015 तक 2319 कि.मी. लंबाई में 6 लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और 1756 कि.मी. में कार्य चल रहा है। वर्ष के दौरान, दिसम्बर, 2015 तक लगभग 223 कि.मी. में कार्य पूरा कर लिया गया है।

यह पिन्ह वाहन की गति सीमा निर्धारित करता है, जो सड़क पर लगे यातायात पिन्ह में दर्शायी जाती है। दंडात्मक कार्यवाही और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए।

*This sign designates the speed of traffic on road. The limit specified must be invariably followed to avoid penal action and crashes on the road.*



बाएं रहना अनिवार्य  
Compulsory Keep Left

समृद्ध परिवहन और राजमार्ग निर्माण, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



**राष्ट्रीय राजमार्ग का अपूर्ति दृश्य**

## राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण - VI

- 3.15 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI में डिजाइन-निर्माण-वित्त-प्रचालन पद्धति का अनुसरण करके सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत 1000 कि.मी. लंबे पूर्णतः पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेस मार्गों के विकास की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के चरण-VI को 16,680 करोड़ रुपए (2006 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत पर नवंबर, 2006 में अनुमोदित किया गया था। इस चरण के लिए कुल 16,680 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जिसमें से 9,000 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से प्राप्त होंगे और साथ्यता वित्त पोषण अंतर को पूरा करने तथा भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक सुविधाओं के स्थानांतरण, परामर्शी सेवाओं आदि की लागत को पूरा करने के लिए शेष 7,680 करोड़ रुपए सरकार द्वारा वित्त पोषित किए जाएंगे।

## राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII

- 3.16 सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VII के अंतर्गत बीओटी (पथकर) विधि से 16,680 करोड़ रुपए (2007 के मूल्यों पर) की अनुमानित लागत से दिसंबर 2007 में स्वतंत्र रिंग रोडों, बाइपासों, ग्रेड सेपरेटरों, फ्लाइओवरों, उत्थापित सड़कों, सुरंगों, सड़क उपरि पुलों, अंडरपासों, सर्विस रोडों आदि के निर्माण को अनुमोदित किया है। एनएचडीपी चरण-VII के अंतर्गत निम्नलिखित छांड अभिनिवार्हित किए गए हैं—
- i) पीपीपीएसी द्वारा 04.08.2008 को 1485 करोड़ रु. की लागत पर तमिलनाडु राज्य में चैन्नई पत्तन से मदुरावोयल तक चार लेन उत्थापित सड़क के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। आरएफक्यू प्रस्ताव 17.10.2008 को प्राप्त हुए। परियोजना का कार्य 06.01.2009 को सौंपा गया था।
  - ii) बेंगलुरु में रारा 7 के हब्बल फ्लाइओवर से नवीन हवाई पत्तन तक (22 कि.मी.) 680 करोड़ रु. की लागत पर उन्न्यन का प्रस्ताव। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

## राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन

- 3.17 मौजूदा वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 4207.56 करोड़ (सं.प्रा. 5506.56 करोड़ रुपए) और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए

यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए झाइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है, जहाँ बीच में विभाजक (डिवाइलर) नहीं होता और उसी सड़क पर त्रुतरका यातायात प्रवाह रहता है।

This sign indicates that the driver should drive in left lane for smooth traffic flow. This sign is installed mainly on the roads which do not have divider in between and two way traffic flows on the same road.



शून्य रूपए की राशि आवंटित की गई है। 4207.56 करोड़ (सं.प्रा. 5506.56 करोड़ रुपए) के अलावा राज्य लोक निर्माण विभाग को राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए स्थायी पुल शुल्क निधि में से 50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

- 3.18 वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए सीमा सड़क संगठन को आवंटित 80 करोड़ रुपए के अलावा 2701.40 करोड़ रुपए (सं. प्रा. 2698.40 करोड़ रुपए) की राशि आवंटित की गई है।
- 3.19 वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास तथा अनुरक्षण के लिए आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा परिशिष्ट-4 में दिया गया है।



**राष्ट्रीय राजमार्ग का अपृत्ति दृश्य**

### पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी—एनई)

- 3.20 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम का उद्देश्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की राजधानियों के साथ, जिला मुख्यालयों और दूर-दराज के क्षेत्रों के सड़क संपर्क में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में लगभग 7530 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों में दो/चार लेन बनाए जाने तथा राज्यीय सड़कों की लगभग 2611 कि.मी. लंबाई में दो लेन बनाए जाने/सुधार करने की परिकल्पना की गई है। इससे, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में 88 जिला मुख्यालयों को कम से कम दो लेन की सड़कों के माध्यम से, राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ जोड़ा जा सकेगा।

इस कार्यक्रम को चरण 'क' और चरण 'ख' तथा अरुणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज में विभाजित किया गया है।

#### चरण 'क' :

इस चरण में 21,769 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से सड़कों की 4099 कि.मी. लंबाई का सुधार कार्य शामिल है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की 3014 कि.मी. लंबाई और राज्यीय सड़कों की 1085 कि.मी. लंबाई शामिल

अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचलन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचलन प्रतिबंधित है।

**Compulsory cycle track signifies that cyclists should compulsorily use this track. It also restricts the movement of any traffic accept cyclist of the track.**



बाएं मुड़ना अनिवार्य  
(बाएं यदि संकेत चिपरीत है)  
**Compulsory Turn  
Left (Right If Symbol  
is Reversed)**



है। सड़कों की 4099 कि.मी. लंबाई में से 3213 कि.मी. लंबाई में 12,821 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के विकास कार्य, सीमा सड़क संगठन और राज्य लोक निर्माण विभाग और एनएचआईडीसीएल को सौंपे गए हैं। शेष 886 कि.मी. लंबाई में से 112 कि.मी. लंबाई में कार्य, बीओटी (वार्षिकी) आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 20 कि.मी. अरुणाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और 752 कि.मी. एनएचआईडीसीएल द्वारा किया जाएगा। उक्त 3213 कि.मी. लंबाई में से 2610 कि.मी. लंबाई की परियोजनाएं 14,070 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर दिसम्बर, 2015 तक संस्थीकृत की जा चुकी हैं। इसके अलावा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित 886 कि.मी. लंबाई में से सरकार ने 9,212 करोड़ रुपए की लागत पर कुल मिलाकर 462 कि.मी. लंबाई की परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन अनुमोदन दे दिया है। ये कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। चरण 'क' के पूरा होने की सम्भावित तारीख मार्च, 2017 है।

### चरण 'ख' :

इस चरण में राष्ट्रीय राजमार्गों की 2,392 कि.मी. लंबाई को दो लेन का बनाया जाना और राज्यीय सड़कों की 1,331 कि.मी. लंबाई में दो लेन बनाना/सुधार करना शामिल है। चरण 'ख' के केवल डीपीआर तैयार करने हेतु ही अनुमोदित किया गया है।

### सड़कों एवं राजमार्गों के लिए अरुणाचल प्रदेश पैकेज:

अरुणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज, जिसमें 2319 कि.मी. (2205 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग और 114 कि.मी. राज्य/जीएस सड़कों) लम्बे सड़क खंड शामिल हैं, को सरकार द्वारा 9/1/2009 को पूर्वात्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में अनुमोदित किया गया था। इसमें से 776 कि.मी. में कार्य को बीओटी (वार्षिकी) आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और शेष 1543 कि.मी. के लिए कार्य को ईपीसी आधार पर निष्पादित किए जाने हेतु निविदा प्रक्रिया के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। दिसम्बर, 2015 तक 15,288 करोड़ रुपए की लागत से 1675 कि.मी. लंबाई के कार्य सौंप दिए गए हैं। शेष 644 कि.मी. के लिए प्राक्कलनों की जांच की जार रही है। डीपीआर की तैयारी/जॉच की जा रही है।

### 3.21 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का विकास

सरकार ने 26.02.2009 को आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 ज़िलों में इनके समग्र विकास के लिए 7300 करोड़ रुपए की लागत से 1126 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों और 4351 कि.मी. राज्यीय सड़कों (कुल 5477 कि.मी.) को 2 लेन में विकसित किए जाने के लिए सड़क आवश्यकता प्लान (आरआरपी) को अनुमोदित किया था। देश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास का दायित्व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंपा गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उक्त कार्यक्रम संबंधित राज्य लोक निर्माण विभागों के माध्यम से संस्थीकृत और कार्यान्वित कराए जाने के लिए मुख्य अभियांत्रों के अधीन एलडब्ल्यूई प्रभाग गठित किया है। अब तक, 8585 करोड़ रुपए की प्राक्कलित लागत पर 5422 कि.मी. लंबाई के लिए विस्तृत प्राक्कलनों की संस्थीकृति प्रदान की गई है जिसमें से 7005 करोड़ रुपए की लागत पर 5263 कि.मी. लंबाई के निर्माण का कार्य सौंपा जा चुका है। 3904 कि.मी. में विकास कार्य जनवरी, 2016 तक पूरा हो चुका है और अब तक किया गया संचयी व्यय 5398 करोड़ रुपए है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों के विकास को मार्च, 2017 तक पूरा करना है, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें अभी सौंपा जाना है।

इस चिन्ह को देखने के बाद द्वाइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) के कारण यह चिन्ह लगाया जाता है।  
One has to turn towards left after seeing this sign. This may have been installed due to diversion.



### 3.22 विजयवाड़ा रांची मार्ग का विकास

1622 कि.मी. लंबे वामपंथी उत्तराखण्ड से प्रभावित विजयवाड़ा रांची मार्ग में से किसी भी केंद्रीय अथवा राज्य स्तरीय में शामिल नहीं की गई ओडिशा में 600 कि.मी. (नियल लंबाई 594 कि.मी.) राज्यीय सड़कों के विकास को सरकार द्वारा 4 नवम्बर 2010 को 1200 करोड़ रुपए की लागत पर अनुमोदित किया गया है।

अब तक, 1126 करोड़ रुपए की प्राककलित लागत के कुल 594 कि.मी. लंबाई के सभी 9 पैकेजों के लिए विस्तृत प्राककलन संस्थीकृत किए जा चुके हैं और सौंप दिए गए हैं। जनवरी, 2014 तक 550 करोड़ रुपए के सचित व्यय पर 288 कि.मी. लंबाई का विकास कार्य पूरा किया जा चुका है।



### राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर–संपर्क सुधार परियोजना (एनएचआईआईपी):

- 3.23 राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर–संपर्क सुधार परियोजना (एनएचआईआईपी) के चरण—। के अंतर्गत विश्व बैंक की ऋण सहायता से बिडार, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के एकल/मध्यम लेन से 2 लेन/पेड शॉल्डर सरेखाण सडित 2 लेन में पुनर्वास और उन्नयन तथा खाड़ों का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इस कार्यक्रम में 5193 करोड़ रु. (विश्व बैंक का हिस्सा – 500 मिलियन यूएस डॉलर) की धनराशि से 1120 कि.मी. की कुल लंबाई वाले 15 सिविल कार्य टेकों वाले 11 खाड़ों की परिकल्पना की गई है। मंत्रिमंडल ने 18.04.2013 को परियोजना को अनुमोदित किया। यह परियोजना मार्च, 2022 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

यह चिन्ह दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है।

**This sign indicates the traffic should move in straight direction and turning to either side would lead to penal action and safety hazard.**



सांकेतिक दाएं पुळा  
अनिवार्य (दाएं चारे संस्कृत निपटाते हैं)  
Compulsory Turn Right Ahead  
(Left II Symbol Is Reversed)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



### परियोजना घटक:

#### घटक क: सड़क सुधार और अनुरक्षण

- राष्ट्रीय राजमार्ग खांड की 1120 कि.मी. लम्बाई का 2 लेन/पेड शोललडर सहित 2 लेन में चौड़ीकरण और उन्नयन
- निर्माण के पश्चात 5 वर्ष की अवधि के लिए परिसंपत्तियों का निष्पादन आधारित अनुरक्षण

#### घटक ख: संस्थागत विकास घटक

- (i) उद्यम संसाधन योजना प्रारम्भ करना
- (ii) मानक प्रचालन नियमों का विकास
- (iii) दर विश्लेषण के लिए 'लागत डाटा बेस' (राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य के लिए) और 'डाटा पुस्तिका' सहित विभिन्न मानक संदर्भ सामग्री को अद्यतन बनाना
- (iv) आईटी आधारित सड़क सूचना पद्धति
- (v) व्यापक परिसंपत्ति प्रबंधन पद्धति— जिसमें 3 परियोजना राज्यों में समी गैर-एनएचडीपी राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।

#### घटक ग: सड़क सुरक्षा

- (i) सड़क सुरक्षा मानकों और प्रक्रिया संहिताओं की समीक्षा और उनको अद्यतन करना
  - (ii) परियोजना राज्यों में सड़क दुर्घटना डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन और
  - (iii) केन्द्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा क्षमता का सुदृढ़ीकरण
- मन्त्रिमंडल ह्वारा यथा अनुमोदित परियोजना लागत 5193 करोड़ रु. (सिविल निर्माण कार्य 3686.14 करोड़ रु., भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन— 451.98 करोड़ रु, पर्यावरण शमन— 50.84 करोड़ रु, जनउपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण— 83.47 करोड़ रु, निष्पादन आधारित अनुरक्षण—350.18 करोड़ रु,

यह यिन्ह छाइवर को सिर्फ दाएं मुळने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम छाइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है।  
This sign directs the driver to turn right only. Obeying this sign will lead to safety and hassle free drive.



भौतिक आकस्मिकताएं— 103.21 करोड़ रु., लोक निर्माण विभाग को एजेंसी प्रभार—121.09 करोड़ रु., पर्यवेक्षण एवं परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं—121.09 करोड़ रु., संस्थागत विकास और सड़क सुरक्षा — 225 करोड़ रु.)।

### ऋण विवरण

- घटक क. सड़क सुधार और अनुरक्षण घटक— 468.05 मि. अमरिकी डालर
- घटक ख. संस्थागत विकास घटक— 16.7 मि. अमरिकी डालर
- घटक ग. सड़क सुरक्षा— 14 मि. अमरिकी डालर
- फ्रंट एंड फीस— 1.25 मि. अमरिकी डालर
- 5 वर्ष की छूट अवधि सहित ऋण को 18 वर्षों में चुकाना



### कार्यान्वयन प्रबंध

- ईएपी जोन को परियोजना के सभी पहलुओं के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व लेना होगा जिनमें शामिल हैं न्यासिक, प्रापण, ढेका अनुवीक्षण, पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण।
- परियोजना कार्यान्वयन के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सहित संबंधित राज्य सीई एनएच के अंतर्गत एसई की अध्यक्षता में परियोजना समन्वय यूनिट।
- ठेकों के कार्यान्वयन का दैनिक पर्यवेक्षण किए जाने के लिए प्रत्येक उप-परियोजना सड़क के लिए ईई की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन यूनिट।

यह धिन्ह यातायात को सीधे चलने या दाएँ मुळने का निर्देश देता है। बाएँ मुळना बर्जित है।

This sign directs the traffic to either move straight or take right turn. Turning towards left is prohibited.



- वर्ष 2015–16 के लिए आबंटन: समकक्ष निधि के अंतर्गत 590 करोड़ रु. और रारा (मूल) के अंतर्गत 150 करोड़ रु. ।
- दिसम्बर, 2015 तक संचयी व्यय 894.80 करोड़ रु. ।
- दिसम्बर, 2015 तक संवितरण के लिए पात्र सकल व्यय: 536.99 करोड़ रु. ।
- विश्व बैंक द्वारा प्रतिपूतिर्ल 202.34 करोड़ रु. ।

### केन्द्रीय सड़क निधि

3.24 मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के लिए 26185.44 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है जिसका का ब्यौरा इस प्रकार है:-

|   |  | (करोड़ रु. में) |
|---|--|-----------------|
| राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यीय सड़कों के लिए अनुदान                          |  | 2,910.00        |
| अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान |  | 355.35          |
| राष्ट्रीय राजमार्ग  |  | 22920.09        |
| <b>जोड़</b>   |  | <b>26185.44</b> |

3.25 केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों के आबंटन के लिए नियत की गई निधियां, विभिन्न राज्यों को, ईंधन की खपत के आधार पर 30% मान देते हुए और राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 70% मान देते हुए आबंटित की जाती हैं ।

3.26 वर्ष 2000–01 से 2015–16 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सड़कों के लिए आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण परिशिष्ट–5 में दिया गया है ।

### केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के लिए अनुमोदन

3.27 वर्ष 2014–15 (दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान, केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 510 करोड़ रुपर की लागत वाले 59 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क एवं आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित कार्य शामिल नहीं हैं ।

### अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाएं

3.28 अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाएं, केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अधिनियम से पहले ही विद्यमान थीं । उस समय, केन्द्रीय ऋण सहायता से केवल मामूली धनराशि वाले कार्यक्रम ही संस्थीकृत किए जाते थे । अब इस योजना को केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित कर दिया गया है ।

### अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत संस्थीकृति

3.29 वर्ष 2015–16 के दौरान, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के लिए 355.35 करोड़ रु की धनराशि निर्धारित की गई है ।

यह चिन्ह यातायात को सीधे चलने या बाएं मुड़ने का निर्देश देता है । दाएं मुड़ना वर्जित है । इस चिन्ह के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।

This sign directs the traffic to either move straight or take left turn. Turning towards right is prohibited. Violation of these sign may jeopardize your safety and may also lead to penal action.

## भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी

### व्यापक कार्यकलाप :

- 3.30 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई), इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक रजिस्टर्ड सोसायटी है। यह केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सहयोगी निकाय है। देश में राजमार्ग इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से सन् 1983 में इसकी स्थापना की गई थी।
- 3.31 यह संस्थान पिछले 32 वर्ष से प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रहा है और अब 10 एकड़ में विकसित अपने स्वयं के परिसर, ए-५, सांस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर-६२, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में ०१ अक्टूबर, २००१ से अपना कार्य कर रहा है।
- 3.32 राजमार्ग इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा के केंद्र स्थापित करते हुए इस अकादमी के दृष्टिकोण और विषय-क्षेत्र को संवर्धित किया गया है। राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देने में यह संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के कार्यों में मौटे तौर पर निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं—
- (क) नवनियुक्त राजमार्ग अभियंताओं को प्रशिक्षण देना।
  - (ख) वरिष्ठ और मध्य स्तर के अभियंताओं के लिए पुनर्शर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना।
  - (ग) वरिष्ठ स्तर के अभियंताओं और प्रशासकों के लिए सड़क विकास में शामिल अल्पकालीन तकनीकी और प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम चलाना।
  - (घ) राजमार्ग क्षेत्र में विशेष क्षेत्रों और नई प्रवृत्तियों में प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - (ङ.) स्वदेशी और विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास।
  - (च) पीपीपी और ईपीसी इत्यादि के आधार पर अल्पकालिक कोर्स/प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजन करना, देश में सड़कों और राजमार्गों की आयोजना/डिजायन/निर्माण और प्रबंधन में सामूहिक अनुसंधान आयोजित करना तथा सड़क सुरक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ विकसित करना।
- 3.33 भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी ने अपने प्रारंभ से अब तक (३१ दिसम्बर २०१५ तक) ११८६ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत और विदेशों में सड़क विकास के कार्य में लगे २७५७६ राजमार्ग अभियंताओं और प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इन कार्यक्रमों के प्रतिभागी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एनएचएआई/एनएनआरडीए, विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र से होते हैं।

यह चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर बाएं रहकर गाड़ी चलाएं। यह चिन्ह मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है, जहां बीच में विभाजक (डिवाइडर) नहीं होता और उसी सड़क पर दुतरफा यातायात प्रवाह रहता है।

**This sign indicates that the driver should drive in left lane for smooth traffic flow. This sign is installed mainly on the roads which do not have divider in between and two way traffic flows on the same road.**



## वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

- 3.34 वर्ष 2015–14 के दौरान (31 दिसम्बर, 2015 तक), अकादमी ने 68 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 1231 अभियंताओं ने और पेशेवरों ने भाग लिया ।

## सड़क और पुल कार्यों में यांत्रिकीकरण तथा आधुनिक उपकरणों का प्रयोग

- 3.35 सड़क और पुल निर्माण कार्यों में यांत्रिकीकरण से गुणवत्ता में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों की बचत, पर्यावरण हितैषी प्रक्रिया, उच्च उत्पादकता, न्यूनतम यातायात विक्षेपण आदि के रूप में परिणाम प्राप्त हुए हैं। इससे कार्यों के निष्पादन में गति आई है और कार्य सुरक्षा में सुधार हुआ है। सड़क और पुल निर्माण कार्यों में यांत्रिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- ऑटोमैटिक ऑवरलोड जांच और यातायात सर्वेक्षण: वे-इन-मोशन-कम-ऑटोमैटिक ट्रैफिक काउंटर्स-कम-क्लासीफायर्स (डब्ल्यूआईएम-सह-80 सीसी) सिस्टम से अधिक भार लदान को रोकने और यातायात संबंधी आंकड़े एकत्र करने में सहायता मिलती है। कर्नाटक राज्य में हासन और कोपल रखानों पर 2 प्रणालियों रखापित एवं शुरू की गई हैं। राजस्थान राज्य के बाडमेर जिले में एक पद्धति रखापित किए जाने, असम और पश्चिम बंगाल में सिविल कार्यों की रखापना संबंधी कार्य प्रगति पर है और तमिलनाडु में आरंभ किया जा रहा है।
- ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स(बीआईएस) और लीगल मेट्रोलॉजी (एमएल) प्रभाग के माध्यम से समस्त एप्लीकेशन को कवर करते हुए सड़क वाहनों के लिए वे-इन-मोशन सिस्टम के राष्ट्रीय मानक तैयार करने हेतु भारत और विदेशों से प्राप्त टिप्पणियों सहित समरत एप्लीकेशनस को कवर करते हुए सड़क वाहनों के लिए वे-इन-मोशन सिस्टम के पूर्व मानकों का प्रारूप तैयार किया गया है और प्रारूप स्तर पर इसे उपभोक्ता मामलों के विभाग को भेजा गया है।
- राजमार्ग उपकरण संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें सभी स्टेकहोल्डरों अर्थात् प्राधिकरणों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं और उपकरण निर्माताओं को उत्पादकता, अंतर्निहित गुणवत्ता आश्वास, विशेषताओं और अंतर्निहित सुरक्षा विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक, नवीन और उच्च निष्पादन उपकरण के संबंध में चर्चा करने और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। ऊर्जा बचत (ऊर्जा क्षमता), सामग्री संसाधनों बचत (दीर्घकालिकता) और पर्यावरण संरक्षण (हरित प्रौद्योगिकियों) की चिंताओं के बारे में भी चर्चा हुई। सम्मेलन में उपकरण प्रचालकों के कौशल स्तर को परिभाषित करने और प्रचालक कौशल के प्रमाणन की पद्धति तैयार करने की आवश्यकता पर भी विचार किया गया।
- मंत्रालय ने सभी स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके कौशल विकास मंत्रालय और ठेकेदारों के माध्यम से राजमार्ग क्षेत्र में कार्यरत मुख्य उपकरण प्रचालक को कौशल प्रदान करने हेतु कार्यवाही आरंभ की है।

अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचलन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचलन प्रतिबंधित है।

**Compulsory cycle track signifies that cyclists should compulsorily use this track. It also restricts the movement of any traffic accept cyclist of the track.**




यह चिन्ह दर्शाता है कि जिस स्थान पर यह चिन्ह लगा हुआ है वहां प्रवेश करने के पश्चात यालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएगा। इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई तथा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का अनुपालन किया जाना चाहिए।

This sign indicates that vehicles using the Road, at the entrance to which the sign is placed shall travel at the specified speed. The limit specified must be invariably followed to avoid penal action and crashes on the road.



दाहिने मोड़  
Right Hand Curve

समूक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Road Transport & Highways, Government of India



रिटा – फिट बिजली बस का प्रदर्शन

यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सौचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर तुर्धटना की संभावना से बचने में सहायक होता है।

This sign cautions you about a Right Hand Curve on the road ahead. This helps you in maneuvering vehicle accordingly and nullifies the possibility of crash due to sudden appearance of turn.



## अध्याय—IV

### सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा

- 4.1 घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अपनी गहरी पैठ के कारण सड़क परिवहन, माल भाड़ा और यात्रियों दोनों की आवाजाही के लिए एक पसंदीदा और सर्वाधिक किफायती साधन माना जाता है। इस प्रकार, देश के आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2011–12 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 4.8% के हिस्से के साथ सड़क परिवहन, भारत के परिवहन क्षेत्र में एक अग्रणी घटक के रूप में उभरा है। फिर भी, 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, कुल सड़क नेटवर्क का 1.58 प्रतिशत है, इस पर कुल सड़क यातायात के 40 प्रतिशत यातायात की ढुलाई होती है। सड़क यातायात अपनाए जाने के कुछ प्रमुख कारक हैं – आसान उपलब्धता, अलग–अलग प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलता और किफायती लागत। रेल, नौवहन और हवाई यातायात के लिए सड़क परिवहन, पूरक सेवा का कार्य भी करता है। वर्ष 2002 से 2012 की अवधि के दौरान पंजीकृत मोटर वाहनों की कुल संख्या में 10.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि हुई है। सड़क और रेल द्वारा कुल यातायात आवागमन में सड़क यातायात का हिस्सा, 1950–51 में माल यातायात के 13.8 प्रतिशत और यात्री यातायात में 15.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में माल यातायात में 64.5 प्रतिशत और यात्री यातायात में 85.9 प्रतिशत हुआ है।
- 4.2 यह मंत्रालय, पड़ोसी देशों के साथ वाहनों के आवागमन की व्यवस्था करने/इसकी मॉनीटरिंग करने के अतिरिक्त देश में सड़क परिवहन के विनियमन के लिए व्यापक नीतियां तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
- 4.3 मंत्रालय के सड़क परिवहन प्रभाग में निम्नलिखित अधिनियमों/नियमावलियों, जिनमें मोटर वाहनों और राज्य सड़क परिवहन नियमों से संबंधित नीति निहित है, का प्रशासन किया जाता है –
- मोटर यान अधिनियम, 1988
  - केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989
  - सड़क परिवहन नियम अधिनियम, 1950
  - वाहक अधिनियम, 1865 को निरस्त करके सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007
  - सड़क द्वारा वहन नियमावली, 2011
- 4.4 मंत्रालय ने 148 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मोटर वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के राज्यीय और राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने की एक परियोजना को संस्थीकृत किया है। राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र द्वारा इस परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है। इस परियोजना में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों/राज्यीय परिवहन प्राधिकरणों का कंप्यूटरीकरण किया जाना और तत्पश्चात् इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के राष्ट्रीय और राज्यीय रजिस्टर से जोड़ा जाना है। स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीकरण प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1006 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं जिनमें से 1001 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण हो चुका है। राज्य की अपेक्षानुसार मानक सॉफ्टवेयर को प्रयोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप बनाने का कार्य सभी 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा किया गया है और यह साप्टवेयर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम 1 प्रायोगिक स्थल में चालू है। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 100% कंप्यूटरीकरण हो चुका है और

जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना रहती है। यह चिन्ह ड्राइवर को सतर्क रहने का संकेत देता है क्योंकि आगे का रास्ता संकरा है।

**When the width of the road decreases and the road merges into a narrow road, there is a possibility that a speeding vehicle may collide with oncoming traffic. This sign cautions the driver to be careful as the road ahead is narrow.**



आगे रास्ता चौड़ा है  
Road Widens Ahead



994 आरटीओ को उनसे जोड़ दिया गया है। वाहन रजिस्टर पर वाहनों की संख्या 5 नवम्बर, 2012 को सौ मिलियन को पार कर गई है। सभी ड्राइविंग लाइसेंसों/पंजीकरण प्रमाणपत्रों के सूक्ष्म सत्यापन को बढ़ावा देने के लिए राज्य परिवहन विभाग अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन प्राधिकारियों को राष्ट्रीय रजिस्टर के संबंध में आंकड़ों के लिए पहुँच उपलब्ध कराई गई है जिसे उनके पंजीकृत मोबाइल नं. से एसएमएस भेज कर डिजिटाइज्ड किया गया है। इसके बाद 31.01.2016 की स्थिति के अनुसार डिजिटाइज्ड आरसी और डीएल के आंकड़े क्रमशः 17,50,42,055 और 8,80,54,602 हैं। वाहन पंजीकरण और परमिट पद्धति 'वाहन' को नागरिक केन्द्रित सर्वोत्तम सेवा के लिए 'प्लेटिनम आइकन वेब रत्न अवार्ड' दिया गया था।

- 4.5 वर्तमान समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़क द्वारा परिवहन व्यापार की प्रक्रिया को सुवारु बनाए जाने की दृष्टि से 'सड़क द्वारा वाहन अधिनियम 2007' को विनियमित किया गया था। यह 01 मार्च, 2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों के सुगम अनुपालन के लिए, सड़क द्वारा वहन नियमावली, 2011 की अधिसूचना, 28.02.2011 की जीएसआर सं. 176(अ) के द्वारा जारी की गई। यह अधिनियम/नियमावली, मंत्रालय की वेबसाइट <http://morth.nic.in> पर भी उपलब्ध है। सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों से इस मंत्रालय द्वारा सड़क द्वारा वहन नियमावली, 2011 के साथ साथ सड़क द्वारा वहन अधिनियम, 2007 का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। मंत्रालय, एनआईसी द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से सड़क द्वारा वहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन केरियरों के आनलाइन पंजीकरण और भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से भुगतान किए जाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। इस संबंध में 24 राज्यों ने भारतीय स्टेट बैंक में पहले ही समर्पित खाते खोल लिए हैं।
- 4.6 इस कठिनाई को दूर करने और ई-रिक्षा तथा ई-कार्ट चलाना सुगम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के भाग 7 के उपभाग (1) में संशोधन किया है जिससे केवल ई-रिक्षा और ई-कार्ट चालकों को छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम के तहत ई-रिक्षा और ई-कार्ट की परिभाषा भी इसमें शामिल की गई है। मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली में ई-रिक्षा और इसके विनिर्देशनों को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (सीएमवीआर) में संशोधन करने के लिए जीएसआर 709(ई) दिनांक 8.10.2014 का.आ. 2590 (ई) दिनांक 8.10.2014 और जीएसआर 27 (ई) दिनांक 13.01.2015 को अधिसूचित किया गया है। जिसे, मंत्रालय की वेबसाइट <http://morth.nic.in> पर अपलोड किया गया है। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में ई-रिक्षाओं को नियमित करने हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं का उल्लेख है।
- 4.7 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मोटर यान अधिनियम, 1988 के रथान पर "सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक, 2015" नामक नया अधिनियम लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के लिए बुरी आदतों को दूर करने और परिवहन प्रणाली का कुशल उपयोग करने का प्रस्ताव है। इसमें परिवहन क्षेत्र में कुशलता में सुधार लाने के लिए मल्टी मॉडल समन्वयन अर्थात् रिट्री लाने का भी प्रस्ताव है। सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक 2015, दिनांक 4 जून, 2015 को सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों की टिप्पणियों/विचार जानने के लिए भेजा गया था। आज की तारीख तक लगभग 26 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं। सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक 2015, को मंत्रालय की वेबसाइट <http://morth.nic.in> पर अपलोड किया गया है।

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार, यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए।



- 4.8 माल वाहनों की अंतर राज्य आवाजाही सुकर करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 8 मई, 2010 से माल ड्रुलाई के लिए नई राष्ट्रीय परमिट पद्धति शुरू की गई है। नवीन प्रबंधों के अनुसार, देश भर में प्रचालन के लिए परमिट धारक को प्राधिकृत करने के लिए गृह राज्य अधिकारिता फीस के रूप में 1000/- रुपए और एक समेकित फीस के रूप में प्रति ट्रक 16,500 रुपए के वार्षिक भुगतान पर राष्ट्रीय परमिट गृह राज्य द्वारा जारी किया जा सकता है। दिनांक 15.09.2010 से नेशनल इनफोर्मेटिक सेंटर (एन.आई.सी.) द्वारा विकसित वेब पोर्टल के माध्यम से नई पद्धति को सी कार्यान्वयित किया जा रहा है। मारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा संग्रहीत समेकित फीस, एक सड़कत फार्मूला आधारित यथानुपात आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सवित्रित की जाती है।
- 4.9 वर्ष 2015–16 के दौरान, केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे और इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज आफ इंडिया, हैदराबाद, मारतीय पैट्रोलियम संस्थान देहरादून, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान, फरीदाबाद, मारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और पैट्रोलियम संस्काण और रिसर्च एसोसिएशन दिल्ली नामक प्रमुख ऑटोमोबाइल संस्थानों/रिसर्च एसोसिएशन और शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से राज्य परिवहन/यातायात विभागों और नगर निगम के अधिकारियों के लिए इस मंत्रालय द्वारा 54 कार्यशाला—सह—प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे इसमें भाग लेने वालों के सड़क परिवहन क्षेत्र में शासन और उम्रती चुनौतियों का सामना करने के सभी पहलुओं की जानकारी दी जा सके।



- 4.10 केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की घारा 59 केंद्र सरकार के वाहनों की आयु नियांरित करने की शक्ति प्रदान करती है। परिवहन वाहनों और पर्यटन वाहनों की जीवन अवधि सीएमवीआर द्वारा नियांरित की गई है। व्यक्तिगत वाहनों की जीवन अवधि नियांरित नहीं की गई है। इस संबंध में नीतिगत निर्णय देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर लिया जाना है। सामान्यतः, वाहन को सुरक्षा और उत्सर्जन मानदंड पूरे किए जाने तक सड़क पर चलने के लिए अनुमत किया जाना चाहिए। सुरक्षा और उत्सर्जन अपेक्षा तभी पूरी की जा सकती है जब वाहन की फिटनेस जांच नियमित अंतराल पर कराई जाए। अतः मंत्रालय ने वाहनों के लिए एक उपयोगत/डिजाइन की गई निरीक्षण और अनुरक्षण पद्धति तैयार की है। तदनुसार, देश में एक आटोमेटिड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन (आईएससी) सेंटर का डिजाइन तैयार किया गया।

यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन-परी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह दिखने पर चालक सदैव तुर्धटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करे।

This sign indicates the slippery condition of the road ahead. This condition could be due to seepage of water or oil spill etc. The driver should invariably slow down the vehicle at sight of this sign to avoid crash.



- 4.11 मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों जैसी संरचनात्मक परिस्थितियों की सुरक्षा के उद्देश्य से ओवर डाइमेंशनल कार्गो (ओडीसी) और ओवर वेट (ओडब्ल्यूसी) के आवागमन हेतु मार्गनिर्देश परिचालित किये हैं। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओडीसी और ओडब्ल्यूसी चलाने वाले ट्रान्सपोर्टरों को सूचीबद्ध परामर्शदाताओं के माध्यम से पुलों की स्थिति सर्वेक्षण देने के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। भारतीय अनुमति सीमा तक ही लादना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने अनुमति के लिए आवेदनों की ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत 6.62 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है। राज्यवार अनुमति का बास-चार्ट परिशिष्ट-6 पर दिया गया।

### सड़क सुरक्षा

- 4.12 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में सड़क सुरक्षा मुद्दों, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस की स्थापना किए जाने, ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली और प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाये जाने, सड़क सुरक्षा कानूनों के बेहतर प्रवर्तन इत्यादि के संबंध में जागरूकता प्रदान करने पर बल दिया गया है। मंत्रालय द्वारा प्रचालित सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण योजना में सड़क सुरक्षा पर प्रचार, उपाय और जागरूकता अभियान, ड्राइविंग प्रशिक्षण हेतु संस्थानों की स्थापना करने की योजना असंगठित क्षेत्र में ड्राइवरों को पुनरुचर्या प्रशिक्षण प्रदान करना और मानव संसाधन विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा स्कीम (एनएचएआरएसएस), निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करना और सड़क सुरक्षा तथा प्रदूषण प्रशिक्षण उपकरण इत्यादि जैसी स्कीमें शामिल हैं।



यह सड़क शिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को सावधानीपूर्वक चौराहा (इंटरसेक्शन) पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पर कर सकें।